नवम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

9.1 निष्कर्ष

9.2 सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

9.1 निष्कर्ष—

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत जनपद मेरठ के ग्रामीण निर्धन परिवारों की सम्पत्ति-संरचना, आय-संरचना ऋण-संरचना, आय, उपभोग-व्यय एवं बचत के सृजन, परियोजनाओं की उपयुक्तता, परियोजनाओं के चयन तथा विभिन्न परियोजनाओं का लाभार्थियों के जीवन-स्तर पर प्रभाव का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—

- यद्यपि भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिये समय-समय पर कई परियोजनायें चालू की जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता का उन्मूलन करना और समाज के कमजोर वर्गों की दशा में सुधार करना था। परन्तु सरकार द्वारा इतने प्रयत्नों के बावजूद भी यह महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को इनके उत्थान के लिये सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती और यदि कुछ परियोजनाओं की इन्हें आधी-अधूरी जानकारी हो भी जाती है तो इनकी अशिक्षा एवं आर्थिक-चेतना के अभाव तथा इन परियोजनाओं को संचालित करने वाली मशीनरी की उदासीनता एवं स्वहित की भावना इन गरीब परिवारों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचने देती। केवल यही नहीं, यदि कुछ निर्धन परिवारों को सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ आर्थिक सहायता मिल भी जाती है तो उस सहायता का 20 से 25 प्रतिशत भाग सुविधा-शुल्क के रूप में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वसूल लिया जाता है और शेष राशि को ये निर्धन परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने ऋणों को चुकाने में खर्च कर डालते हैं। इस सब का परिणाम यह होता है कि सरकार द्वारा निर्धन परिवारों के लिये संचालित समस्त परियोजनायें केवल कागजों में ही उनके विकास की कहानी का वर्णन करती हैं जबकि वास्तविकता में इनका लाभ सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अपात्र व्यक्तियों को ही मिल पाता है।

- जनपद मेरठ के रजपुरा एवं हस्तिनापुर विकास खण्डों में ग्रामीण निर्धन परिवारों में से अधिकतर के पास अपने सुचारु जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक सम्पत्ति भी उपलब्ध नहीं है जिसके मुख्य कारण परिवार का बड़ा होना, परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या का कम होना, नियमित आय का कम होना, उनका ऋण के बोझ के नीचे दबे होना तथा इन सबसे भी अधिक उनके साथ अनेक दुर्व्यसनों का जुड़े होना है। किसी सीमा तक उनकी संतोषी-प्रवृति तथा आवश्यक सम्पत्तियों को प्राप्त करने की इच्छा-शक्ति का अभाव भी उनकी आर्थिक दुर्दशा का कारण प्रतीत होता है।

- ग्रामीण निर्धन परिवारों के विभिन्न ऋण-स्रोतों के विश्लेषण से पता चला कि ग्रामीण निर्धन परिवारों की अधिकतर दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा की जाती है। सरकार अधिकतर उन्हें उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान करती है परन्तु कभी-कभी उनकी आर्थिक-स्थिति को ऊँचा उठाने के अपने मूल उद्देश्य को अधिक महत्व प्रदान करते हुए अनुत्पादक कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान कर देती है। यह तथ्य इस बात से और अधिक सिद्ध होता है कि सरकार ने रजपुरा विकास खण्ड में 50.5% परिवारों को उत्पादक कार्यों के लिये ऋण प्रदान किया तथा 49.5% परिवारों को अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण प्रदान किया। अनुत्पाद कार्यों के लिये इतनी अधिक सहायता प्रदान करने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या का अधिक होना है। इसी प्रकार हस्तिनापुर विकास खण्ड में विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत कुल चयनित लाभार्थियों में से 60.5% को उत्पादक कार्यों तथा 39.5% परिवारों को अनुत्पादक कार्यों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- वित्तीय-सहायता के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि सरकार केवल स्थिर पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही ऋण उपलब्ध कराती है तथा कार्यशील पूँजी के लिये कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती जबकि किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग को संचालित करने में कार्यशील पूँजी का अपना विशेष महत्व होता है। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि लाभार्थियों के पास कार्यशील पूँजी का अभाव होने के कारण उन्हें महाजनों के चंगुल में फंस कर उनके शोषण का शिकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बहुत से लाभार्थी कार्यशील पूँजी की कमी के कारण परियोजना के अन्तर्गत आबंटित व्यवसाय अथवा उद्योग-धन्धों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाये तथा उन्हें अपने व्यवसाय अथवा उद्योग-धन्धों को बन्द कर देना पड़ा।

- ग्रामीण निर्धन परिवारों ने अपने मित्र एवं सम्बन्धियों से अधिकतर अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्राप्त किये हैं तथा दीर्घकालीन ऋण काफी कम अर्थात् मात्र 14 परिवारों ने ही लिया हैं। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मित्र एवं रिश्तेदारों द्वारा 34.33% लाभार्थियों को अल्पकालीन ऋण, 55.22% लाभार्थियों को मध्यमकालीन ऋण तथा शेष 10.45% लाभार्थियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये गये। दोनों विकास खण्डों का अलग-अलग अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि अवधि के आधार पर ऋणों के सम्बन्ध में रजपुरा एवं हस्तिनापुर विकास खण्ड लगभग समान प्रवृति रखते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण निर्धन परिवारों के मित्र एवं रिश्तेदारों ने सर्वाधिक ऋण धार्मिक, पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों का निर्वाह करने तथा न्यूनतम ऋण महाजनों के अधिक ब्याज वाले ऋणों को चुकता करने के लिये उपलब्ध कराये। यदि चयनित विकास खण्ड़ों में मित्र एवं सम्बन्धियों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के सम्बन्ध में लाभार्थियों का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाये तो स्पष्ट होता है कि 8.96% लाभार्थियों को नया व्यवसाय प्रारम्भ करने, 18.66% लाभार्थियों को पुराने व्यवसाय का उद्धार अथवा विस्तार करने, 2.24% लाभार्थियों को महाजनों के अधिक ब्याज वाले ऋणों को चुकता करने, 13.43% परिवारों को अन्य मित्र एवं सम्बन्धियों के ऋणों का भुगतान करने, 35.06% परिवारों को धार्मिक, पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों का निर्वाह करने, 12.69% परिवारों को अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा 8.96% परिवारों को मिले-जुले उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ऋण प्रदान किये गये। उपरोक्त दोनों ही विकास खण्ड़ों में मित्रों एवं सम्बन्धियों से उत्पादक ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत 27.62% था जबकि अनुत्पादक ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत 72.38% रहा।

  निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चयनित दोनों विकास खण्डों में सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से केवल रोजगार-परक उद्देश्यों के लिये ही ऋण प्रदान किये तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ग्रामीण निर्धन परिवारों को प्रथम क्रम में मित्र एवं सम्बन्धियों तथा द्वितीय क्रम में महाजनों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ा।

- उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न ऋण-स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि रजपुरा विकास खण्ड में नया व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये सरकार, महाजन तथा मित्र एवं सम्बन्धियों का ऋण योगदान क्रमश: 96.72%, 00% तथा 3.28% रहा। अन्य शब्दों

में, इस विकास खण्ड में महाजनों ने किसी भी लाभार्थी को नया व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये ऋण प्रदान नहीं किया। हस्तिनापुर में इसी उद्देश्य के लिये उपरोक्त ऋण-स्रोतों का योगदान क्रमशः 95.27%, 1.18% तथा 3.55% रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों विकास खण्डों में नया व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका सरकार की ही रही।

पुराने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से रजपुरा विकास खण्ड में सरकार, महाजन एवं मित्र तथा सम्बन्धियों का ऋण-योगदान क्रमशः 58.98%, 2.56% तथा 38.46% रहा। इसी प्रकार हस्तिनापुर विकास खण्ड में इसी उद्देश्य के लिये उपरोक्त ऋण स्रोतों का योगदान क्रमशः 76.47%, 3.92% तथा 19.61% रहा। अतः दोनों विकास खण्डों में पुराने व्यवसायों का विकास करने के लिये भी ऋण प्रदान करने में सरकार ने ही मुख्य भूमिका का निर्वाह किया।

- विभिन्न ऋण-स्रोतों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद मेरठ के रजपुरा विकास खण्ड में चयनित 200 लाभार्थियों में से 102 अर्थात् 51% केवल सरकार के ऋणी हैं, 28 अर्थात् 14% सरकार एवं महाजनों के ऋणी हैं तथा शेष 70 अर्थात् 35% सरकार, महाजन तथा मित्र एवं सम्बन्धी, सभी के ऋणी हैं। हस्तिनापुर विकास खण्ड में 111 अर्थात् 55.5% लाभार्थी केवल सरकार, 25 अर्थात् 12.5% लाभार्थी सरकार एवं महाजन तथा 64 अर्थात् 32% लाभार्थी सरकार, महाजन तथा मित्र एवं सम्बन्धी, सभी के ऋणी हैं।
- अलग-अलग सभी ऋण-राशि वर्गों में वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार की अहम् भूमिका रही। इसके पश्चात् मित्र एवं सम्बन्धियों ने इस दिशा में अपना सहयोग दर्ज कराया। जहाँ तक महाजनों द्वारा ऋण प्रदान करने का सम्बन्ध है, इस दिशा में उनका सहयोग सबसे कम रहा जिसका मुख्य कारण उनके मन में सरकार द्वारा ऋण-माफी का डर बने होना रहा है।
- सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को 18% प्रतिवर्ष से भी कम अर्थात् 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। मित्र एवं सम्बन्धियों ने रजपुरा विकास खण्ड में 17 एवं हस्तिनापुर विकास खण्ड में 15 लाभार्थियों को ब्याज-रहित ऋण उपलब्ध कराया। ब्याज-रहित ऋण उपलब्ध कराने के पीछे मित्रों के प्रगाढ़ प्रेम की भावना एवं सम्बन्धियों के नाजुक रिश्तों का होना पाया गया।

- आगे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि जनपद मेरठ के रजपुरा एवं हस्तिनापुर विकास खण्ड़ों में लगभग तीन-चौथाई ऋणियों ने 18% या इससे भी कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण सभी 400 चयनित लाभार्थियों को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होना रहा है। ब्याज-रहित ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या कुल ऋणी परिवारों की 5.53% रही। 18% वार्षिक से अधिक ब्याज पर केवल महाजनों एवं मित्र एवं सम्बन्धियों का ही शिंकजा रहा तथा उन्होंने समय एवं परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग ब्याज-दरों पर ग्रामीण निर्धन परिवारों को ऋण-प्रदान किया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक कारण इन्हीं महाजनों, साहुकारों एवं मित्र तथा सम्बन्धियों द्वारा ऊंची ब्याज-दरों पर ग्रामीणों को रुपया उधार देना भी है।

- जनपद के ग्रामीण अंचलों का सर्वेक्षण करने से प्रतीत होता है कि इस जनपद में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में न तो उनकी क्षेत्रीय उपयुक्तता पर ध्यान दिया जाता है और न ही उनकी वित्तीय उपयुक्तता का आकलन किया जाता है।

- जनपद मेरठ के रजपुरा एवं हस्तिनापुर विकास खण्डों में प्रचलित विभिन्न परियोजनाओं एवं लाभार्थियों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि अभी तक इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को जो परियोजनायें आबंटित की गई हैं उनमें से अधिकतर परियोजनाओं का आबंटन लाभार्थियों की आय, सम्पत्ति, शिक्षा, परम्परागत पेशा एवं अनुभव आदि पर विशेष ध्यान दिये बिना ही कर दिया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकतर लाभार्थी उनको आबंटित परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाये हैं।

- रजपुरा एवं हस्तिनापुर विकास खण्डों में विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले चयनित लाभार्थियों में से 26.75% अशिक्षित, 37.75% साक्षर एवं 25.75% हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त थे। हाई स्कूल से ऊपर शिक्षा प्राप्त लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 6.5% था। इसके अतिरिक्त तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लाभार्थियों का प्रतिशत क्रमशः .50% तथा 2.75% था जोकि बहुत ही कम रहा।

- ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये संचालित विभिन्न परियोजनाओं के वित्तीय आकलन से स्पष्ट होता है कि सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती

है तथा अलग-अलग परियोजनाओं में 15% से लेकर 50% तक अनुदान भी प्रदान करती है। केवल यही नहीं; सरकार तकनीकी प्रकृति के व्यवसायों के लिये आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित औजारों की निशुल्क किट भी प्रदान करती है।

- वैसे तो अधिकतर परियोजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा ही प्रदान कर दी जाती है परन्तु कुछ परियोजनायें ऐसी भी हैं जिनके लिये लाभार्थियों को सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से भी आंशिक वित की व्यवस्था करनी पड़ती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि सरकार ग्रामीण निर्धन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिये विभिन्न परियोजनाओं के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है। जहाँ तक लाभार्थियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं कि लये वित्तीय आवश्यकता जताने का प्रश्न है, वह सामान्यत: बढ़ा-चढ़ा कर इसलिये बताई जाती है ताकि सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके।

जिन परियोजनाओं के लिये सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है उनमें भैंसा-बुग्गी, घोड़ा-गाड़ी, भैंस-पालन, भेड़-पालन, सुअर-पालन रिक्शा-चालन, मिट्टी के बर्तन उद्योग, चारपाई-उद्योग, टोकरी-उद्योग, दर्जीगिरी, लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, जुलाहीगिरी आदि जैसी परियोजनायें आती हैं। इसके विपरीत बैल-जोडी, दुकान, फेरीवाले, पम्पिंग-सैट, चमड़ा-उद्योग, खेलकूद का सामान उत्पादन आदि कुछ परियोजनाओं में लाभार्थियों को सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कुछ राशि की व्यवस्था अपने पास से अथवा अन्य स्रोतों से भी करनी पड़ती है।

- सरकार मिट्टी-बर्तन उद्योग, टोकरी-उद्योग, दर्जीगिरी, लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, जुलाहीगिरी, रिक्शा-चालन आदि कार्यों के लिये आवश्यकतानुसार 5000 रुपये तक का ऋण लाभार्थियों को 50% अनुदान राशि के साथ उपलब्ध कराती है। बैल-जोड़ी के लिये 8000 रुपये के ऋण की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती हैं जिस पर 25% की अनुदान राशि स्वीकृत है। सुअर-पालन, चारपाई-उद्योग तथा चमड़ा-उद्योग के लिये 10000 रुपये की वित्तीय सहायता 50% अनुदान के साथ प्रदान की जाती है तथा भेड़-पालन तथा अन्य पशुपालन के लिये भी इतनी ही राशि तक का ऋण 33.33% अनुदान के साथ प्रदान किया जाता है। दुकान एवं फेरी व्यवसाय

के लिये भी 10000 रुपये के ऋण की व्यवस्था 25% अनुदान के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त पम्पिग-सैट लगाने के लिये लाभार्थी को 3200 रुपये का पाईप निःशुल्क प्रदान किया जाता है तथा उन्हें प्रति सैट 12000 की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। भैंसा-बुग्गी और घोड़ा- गाड़ी के लिये 18000 रुपये की वित्तीय सहायता 25% अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। यदि कोई ग्रामीण निर्धन परिवार खेलकूद का सामान बनाने का कार्य करना चाहता है तो उसे सरकार की ओर से 20000 रुपये तक का ऋण 15% अनुदान के साथ प्रदान किया जाता है। यदि कोई लाभार्थी डेरी का कार्य करना चाहता है तो उसे दो भैंसो के लिये 33.33% अनुदान के साथ 35000 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

- सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लाभार्थियों को अनुदान राशि का लाभ रोजगार प्रारम्भ करते समय प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि सरकार भले ही अनुदान की राशि वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को प्रारम्भ में दे देती हो, परन्तु ऋण प्रदान करने वाले बैंक इस अनुदान राशि को लाभार्थी की ऋण राशि में से प्रारम्भ में न घटा कर अपने पास स्थायी जमा के रूप में रखते हैं तथा अन्त में ऋण की किश्तों के भुगतान में समायोजित करते हैं।

- सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उसके सम्बन्ध में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता समान्यतः पशुओं, मशीनों, औजारों अथवा अन्य उपस्करों के रूप में प्रदान की जाती है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि लाभार्थियों के द्वारा वित्तीय सहायता के दुरुपयोग की सम्भावनायें क्षीण हो जाती हैं। परन्तु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिन अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों तक यह सहायता पहुँचायी जाती है वे अपने कर्तव्यों के प्रति कितने ईमानदार हैं, यह सत्य किसी से छिपा नहीं है। सामान्यतः देखने में यह आया है कि लाभार्थियों को औजार, मशीन, पशु, यन्त्र आदि के रूप में जो सहायता उपलब्ध करायी जाती है वह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के हिसाब से काफी निम्न-स्तर की होती है और कभी-कभी तो इस प्रकार की सहायता का लाभार्थियों को लाभ मिलने के स्थान पर नुकसान भी हो जाता है क्योंकि वे उन यन्त्रों, पशुओं अथवा औजारों के द्वारा

अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं चला पाते जिससे कि उनकी आय में तो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती बल्कि उनके सिर पर सरकारी कर्ज का बोझ अनावश्यक रूप से और बढ़ जाता है। इस प्रकार ग्रामीण निर्धन परिवारों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बाद वाला पहलू अधिक प्रभाव रखता है।

- विभिन्न परियोजनाओं में 77 लाभार्थी ऐसे रहे जिन पर परियोजना में सम्मिलित होने का विपरीत प्रभाव पड़ा अर्थात् वे उच्च आय-वर्ग से निम्न आय-वर्ग में स्थानान्तरित हो गये। इस विपरीत प्रभाव के मुख्य कारण लाभार्थियों द्वारा ऋण राशि का दुरूपयोग, परियोजना का गलत चयन, कार्यशील पूँजी का अभाव, वित्तीय सहायता के रूप में लाभार्थियों को घटिया किस्म के उपकरण, औजार एवं पशु आदि का प्राप्त होना रहा है। इसके विपरीत 157 लाभार्थी ऐसे पाये गये जिन पर परियोजना में सम्मिलित होने का स्पष्ट रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ा अर्थात् वे निम्न आय-वर्ग से उच्च आय-वर्ग में स्थानान्तरित हो गये। इस अनुकूल रुझान के मुख्य कारण उक्त लाभार्थियों द्वारा ऋण-राशि का सदुपयोग, सही परियोजना का चयन एवं उनका परीश्रमी होना रहा है।

- यह भी देखने में आया है कि आय-वर्ग बढ़ने के साथ-साथ लाभार्थियों के मासिक औसत-आय सृजन की राशि एवं प्रतिशत, दोनों में तीव्र गति से गिरावट आयी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति का मुख्य कारण निम्न आय-वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना के साथ हृदय से जुड़े होना तथा उनकी आय में वृद्धि की काफी गुंजाईश होना रहा है। इसके विपरीत उच्च आय-वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना राशि का पूर्ण उपयोग न करना तथा उनकी आय में वृद्धि की कम गुंजाइश का होना रहा है।

- जनपद मेरठ के ग्रामीण निर्धन परिवारों के लाभार्थियों के औसत जीवन-निर्वाह व्ययों में परियोजना में सम्मिलित होने के उपरान्त 7.13% से 16.18% के बीच वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1000 रुपये मासिक तक आय-वर्ग वाले लाभार्थियों की जीवन-निर्वाह व्ययों में सर्वाधिक (16.18%) रही और 3000 रुपये से अधिक आय-वर्ग के लाभार्थियों के जीवन-निर्वाह व्ययों में से सबसे कम अर्थात् 7.13% रही है।

- लाभार्थियों की मासिक औसत-बचत के आँकड़ों के गहन विश्लेषण से स्पष्ट होता है

कि 1000 रुपये तक तथा 1001 रुपये से 1500 रुपये तक मासिक-आय कमाने वाले लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में परियोजना में सम्मिलित होने के उपरान्त आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। यदि इन दोनों आय-वर्गों की औसत-बचतों की तुलनात्मक वृद्धि का आकलन किया जाये तो पता चलता है कि 1000 रुपये मासिक तक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की मासिक औसत-बचत में वृद्धि सर्वाधिक अर्थात् 305 रुपये रही जबकि 1001-1500 रुपये आय-वर्ग के लाभार्थियों की मासिक औसत-बचत में वृद्धि 282 रुपये रही। इन दोनों आय-वर्गों के लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 136.77% एवं 381.08% रहा। अन्य सभी आय-वर्गों के लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में कमी का रुझान देखने को मिला। 2501 रुपये से 3000 रुपये मासिक आय-वर्ग वाले लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में सर्वाधिक कमी अर्थात् 437 रुपये रिकार्ड की गई। मासिक औसत-बचतों में आने वाली कमी की श्रेणी में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः 2001-2500, 3000 से अधिक और 1501-2000 रुपये आय-वर्ग के लाभार्थी पाये गये। और अधिक विश्लेषण करने पर पता चला कि परियोजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 43.25% लाभार्थी अपनी मासिक औसत-बचतों को बढ़ाने में सफल रहे और शेष 56.75% लाभार्थियों ने इस दिशा में अपनी अक्षमता का ही परिचय दिया है।

- निम्न आय-वर्ग के लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में वृद्धि के मुख्य कारण परियोजना में सम्मिलित होने के उपरान्त उनकी आय का पर्याप्त मात्रा में बढ़ना तथा जीवन-निर्वाह व्ययों का आय-वृद्धि के अनुपात से कम मात्रा में बढ़ना रहा है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत उच्च आय-वर्ग के लाभार्थियों की मासिक औसत-बचतों में कमी आने के मुख्य कारण उनकी मासिक औसत-आय में नाम-मात्र की वृद्धि होना तथा मासिक औसत जीवन-निर्वाह व्ययों में आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक की वृद्धि होना रहा है।

- लाभार्थियों की भुगतान-क्षमता के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सामान्यतः ग्रामीण निर्धन परिवार लिये गये ऋणों को वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। यही कारण है कि सरकार ने उन पर किसी भी बैंक, महाजन या साहुकार के 10000 रुपये तक के ऋणों की माफी का निर्णय लिया। इसके विपरीत, यदि कुछ लाभार्थी ऋणों का भुगतान करने की क्षमता रखते भी हैं तो भी उनकी नीयत इस सम्बन्ध में ठीक नहीं है। यदि उन पर ऋण-वापसी के लिये दबाव बनाया जाता है तो वे अपने क्षेत्रीय एवं जातिगत नेताओं और सरकारी मशीनरी के अनुचित प्रयोग का प्रयत्न करते हैं।

- कृषि-परियोजना से सम्बन्धित केवल 2 (6.06%) लाभार्थी ही ऐसे पाये गये जिनके जीवन-स्तर पर अनुकूल प्रभाव रहा तथा उनकी ऋण-भुगतान क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके विपरीत 31 (93.94%) लाभार्थियों के जीवन-स्तर पर इस परियोजना का विपरीत प्रभाव ही देखने को मिला। इन लाभार्थियों का जीवन-स्तर तो इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि जहाँ एक ओर परियोजना में सम्मिलित होने से पूर्व उनकी बचत धनात्मक थी, वह उनके परियोजना में सम्मिलित होने के पश्चात् ऋणात्मक-स्तर पर पहुँच गई। अतः उनकी ऋण-भुगतान क्षमता भी शून्य हो गई।

- लघु-सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित सभी 11(100%) लाभार्थियों का जीवन-स्तर इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है कि एक ओर तो वे अपनी पूर्व आय-स्तर को भी बनाये रखने में सफल नहीं हो पाये तथा दूसरी ओर उनके उपभोग-व्ययों में वृद्धि हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इस परियोजना में सम्मिलित होने से पूर्व उनका जो बचत-स्तर धनात्मक स्थिति का प्रदर्शन करता था, वही उनके परियोजना में सम्मिलित होने के उपरान्त ऋणात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई देने लगा अर्थात् जहाँ परियोजना से जुड़ने से पूर्व उनकी ऋण-भुगतान क्षमता उनकी सम्मानजनक स्थिति का प्रदर्शन करती थी वह उनके परियोजना से जुड़ने के उपरान्त शून्य हो गई।

- पशुपालन परियोजना से जुड़े 34 लाभार्थियों ने इस परियोजना से लाभ उठाकर अपने जीवन-स्तर में वृद्धि की जबकि 44 लाभार्थियों की आय एवं बचतों पर इस परियोजना का इतना विपरीत असर हुआ कि उनकी आय भी पहले की अपेक्षा कम हो गई तथा बचतें भी धनात्मक-स्तर से ऋणात्मक-स्तर में परिवर्तित हो गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि जहाँ परियोजना में सम्मिलित होने से पूर्व उनकी ऋण-भुगतान क्षमता सम्मानजनक स्तर पर थी वह उनके परियोजना में सम्मिलित होने के पश्चात् शून्य-स्तर पर आ गई। बल्कि इससे भी आगे यह कहा जा सकता है कि इस परियोजना में सम्मिलित होने के पश्चात् उनकी आय की अपेक्षा उपभोग-व्यय अधिक हो गये जिसके कारण उन्हें अन्य ऋण-स्रोतों की शरण में जाना पड़ा।

- कुटीर-उद्योग परियोजना के अन्तर्गत 38% लाभार्थियों ने अपने वास्तविक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया है तथा अपनी ऋण-भुगतान क्षमता में भी वृद्धि की है। 25% लाभार्थी ऐसे

रहे जिन्होंने अपनी आय में नाम-मात्र (1.2%) की वृद्धि की जबकि उनके उपभोग-व्ययों में पर्याप्त (12.59%) की वृद्धि हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पहले उनकी मासिक औसत-बचत 200 रुपये थी, वह ऋणात्मक-स्तर (−31 रुपये) पर पहुँच गई और उनकी ऋण-भुगतान क्षमता का ग्राफ शून्य पर आ गया। शेष 37% लाभार्थियों के जीवन-स्तर पर इस परियोजना का विपरीत प्रभाव ही पड़ा है क्योंकि इस परियोजना से जुड़ने के पश्चात् उनकी आय में भी कमी हुई तथा उनकी बचतें भी धनात्मक-स्तर से नीचे गिरती हुई ऋणात्मक-स्तर पर पहुँच गई। दूसरे शब्दों में, जहाँ इस परियोजना में सम्मिलित होने से पूर्व उनकी ऋण-भुगतान क्षमता सम्मानजनक स्तर पर थी वह अब न केवल शून्य हुई है अपितु उन्हें अपने दैनिक-व्ययों की पूर्ति के लिये भी महाजनों, मित्रों और सम्बन्धियों का मुँह ताकना पड़ गया।

- सेवा एवं व्यवसाय से जुड़े 118 (66.29%) लाभार्थियों ने अपने जीवन-स्तर में सुधार किया तथा 103 (57.86%) लाभार्थियों ने अपनी बचतें बढ़ा कर ऋण-भुगतान क्षमता को ऊँचा किया। 37 (20.79%) लाभार्थी ऐसे पाये गये जिनकी बचतें पहले धनात्मक स्तर पर थी परन्तु उनके परियोजना में सम्मिलित होने के पश्चात् वे ऋणात्मक-स्तर पर आ गई जिससे उनकी ऋण-भुगतान क्षमता न केवल समाप्त हुई अपितु उन्हें अपने जीवन-निर्वाह व्ययों को पूरा करने के लिये भी अन्य ऋण-स्रोतों का सहारा लेना पड़ा।

9.2 सुझाव–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिपेक्ष्य में प्राप्त उपरोक्त निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं–

- सरकार की ओर से निर्धन परिवारों के लिये विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण ग्रामीण पृष्ठ-भूमि अर्थात् जलवायु, मिट्टी, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, जनांककीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये। इस प्रकार से निर्मित परियोजनायें अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी सिद्ध होंगी।

- सरकार द्वारा गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे निर्धन परिवारों के आर्थिक सुधार के लिये उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऋण सम्बन्धी सहायता देने के स्थान पर सामूहिक विकास परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिये। ये परियोजनायें कृषि, पशुपालन, मत्स्य-पालन, मुर्गीपालन, टोकरी-उत्पादन

एवं अन्य छोटे-छोटे घरेलू उत्पादों के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहियें। इन परियोजनाओं को लागू करने के लिये प्रत्येक गाँव में इस प्रकार के एक-एक केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिये जो इनको अलग-अलग परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार कच्चा-माल एवं परियोजना को लागू करने सम्बन्धी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने तथा इनके द्वारा तैयार माल के विक्रय की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी हों। इसके अतिरिक्त आवश्यकता इस बात की भी है कि इस प्रकार की परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के बीच सरकारी एवं गैर-सरकारी मध्यस्थों की लम्बी श्रृंखला को जितना भी सम्भव हो सकें, कम किया जाना चाहिये। प्रत्येक गाँव में स्थापित केन्द्र के लिये विभिन्न सामूहिक परियोजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहियें तथा उन लक्ष्यों की प्रगति एवं सफलता के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट तैयार करायी जानी चाहिये। इस रिपोर्ट में यह जानकारी भी स्पष्ट की जानी चाहिये कि परियोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के किन-किन परिवारों को सम्मिलित किया गया है तथा उन परिवारों को इन परियोजनाओं के माध्यम से क्या-क्या आर्थिक लाभ पहुँचे हैं। इस प्रकार की सामूहिक परियोजनाओं का लाभ चूँकि सामूहिक रूप से गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को ही मिलेगा, अतः यदि कोई अपात्र परिवार इसमें प्रवेश करना चाहेगा तो उसका पता शीघ्र ही चल जायेगा। इसके साथ ही चूँकि प्रत्येक परियोजना में 15-20 निर्धन परिवार एक साथ मिल कर कार्य करेंगे, अतः उनकी सामूहिक शक्ति के कारण उनके शोषण की सम्भावानयें भी कम होंगी।

- ग्रामीण निर्धन परिवारों के आर्थिक-स्तर में वृद्धि के लिये विभिन्न परियोजनाओं को उनकी क्षेत्रीय तथा वित्तीय उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यदि इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाये तो इससे प्राप्त होने वाले परिणाम न केवल जनपद के ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में सहायक होंगे अपितु इनसे सम्पूर्ण ग्रामीण आर्थिक-स्तर में भी आशातीत सुधार-सम्भव हो सकेगा।

- लाभार्थियों को सरकार की ओर से जो अनुदान-राशि प्रदान की जाती है उसका लाभ उन्हें परियोजना में सम्मिलित होते समय ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा कर सकी तो ग्रामीण निर्धन परिवारों की वित्तीय समस्या का समाधान एक सीमा तक स्वतः ही हो जायेगा।

- परियोजना अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिये जाने चाहिए कि वे लाभार्थियों को परियोजना में सम्मिलित करते समय उनकी आय, सम्पत्ति, शिक्षा, परम्परागत पेशे एवं योग्यता सम्बन्धी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें। इस प्रकार की सावधानी बरतने से केवल सुपात्र व्यक्तियों का ही चयन तथा चयनित लाभार्थियों को उचित परियोजना का आबंटन सम्भव हो सकेगा।

- परियोजना अधिकारियों के द्वारा लाभार्थियों की विभिन्न विशेषताओं तथा सम्बन्धित परियोजना के संचालन सम्बन्धी पूर्व-आवश्यकताओं के बीच सही सामन्जस्य स्थापित कर लिया जाना चाहिये। इससे लाभार्थियों को परियोजना को समझने एवं उसका संचालन करने में पूर्ण सुविधा रहेगी और वह परियोजना का पूरा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

- सरकार को कुछ ऐसे उपाय सुनिश्चित करने चाहिएं जिससे खण्ड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के शोषण की सम्भावनायें समाप्त हो सकें। इससे सुपात्र लाभार्थी उनके शोषण का शिकार होने से बच सकेंगे तथा उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा।

- उच्च-स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में जो यन्त्र, उपकरण, उपस्कर, पशु आदि उपलबध कराये जायें, उनकी गुणवत्ता पूर्व-निर्धारित मानक-स्तर की हो। इससे लाभार्थियों को श्रेष्ठ किस्म की सहायता सामग्री प्राप्त होगी तथा वे उससे परियोजना का कार्य अधिक कुशलता के साथ करने में सक्षम होंगे।

- सरकार को पहले यह ठीक प्रकार से निर्धारित करना चाहिये कि किस परियोजना की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता क्या है। इसके पश्चात् लाभार्थियों को परियोजना के अन्तर्गत शत्-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये। इससे लाभार्थी महाजनों एवं अन्य ऋण-स्रोतों के चंगुल में फंसने से बच सकेंगे।

- सरकार को केवल स्थिर पूँजी की आवश्यकता पूर्ति के लिये ही नहीं अपितु कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पूर्ति के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये। इससे लाभार्थियों को कार्यशील पूँजी के लिये अन्य शोषण करने वाले ऋण-स्रोतों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा तथा साथ ही कार्यशील पूँजी के अभाव में परियोजनायें बीच में ही बन्द नहीं होंगी।

- लाभार्थियों को परियोजना के आबंटन तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उपरान्त सरकार को चाहिये कि वह परियोजना अधिकारियों के माध्यम से समय-समय पर इस बात का निरीक्षण कराये कि प्रदत्त वित्तीय सहायता का लाभार्थी द्वारा सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। यदि इसमें कहीं अनियमितता देखने को मिले तो दोषी लाभार्थी के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था का भी प्रावधान होना चाहिए। इससे परियोजना-राशि का सही उपयोग सम्भव हो सकेगा तथा परियोजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी की आर्थिक-स्थति में भी सुधार सम्भव हो सकेगा। यदि परियोजना अधिकारी उपयुक्त नियन्त्रण स्थापित करने में असफल रहें तो उनकी भी जबाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- सरकार को चाहिये कि जब तक लाभार्थियों को परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त लाभ प्राप्त होने प्रारम्भ न हो जायें, तब तक उनके जीवन-निर्वाह व्ययों की व्यवस्था अपने पास से करे तथा इसके लिये अधिकतम समय-सीमा का निर्धारण भी अपरिहार्य है जोकि परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करना चाहिये।

- परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की वापसी की प्रक्रिया परियोजना की प्रकृति को देखते हुए एक निश्चित समय-अन्तराल के उपरान्त ही प्रारम्भ होनी चाहिए। इससे लाभार्थी को परियोजना से प्राप्त आय से भुगतान करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा तथा उस पर ऋण-भुगतान का बोझ असमय नहीं पड़ेगा।

- सरकार को इस बात के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये कि ग्रामीण निर्धन परिवार महाजनों एवं अन्य शोषण करने वाली ऋण एजेन्सियों के चंगुल से छुटकारा पा सकें। इससे ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय का एक बड़ा भाग, जो ब्याज के रूप में शोषणकर्ताओं की तिजोरियों में जाकर बन्द हो जाता है, वह उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हो सकेगा।

- सरकार को चाहिये कि परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि जिन ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को परियोजना में सम्मिलित किया जा रहा है, उनको परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक प्रशिक्षण वास्तविक परिपेक्ष्य में दिया जा चुका है। इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे लाभार्थी परियोजना-कार्य का संचालन अधिक कुशलता के साथ करने में समर्थ होगा तथा उसे परियोजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा।

◆ ◆ ◆